Mail Today/Urgent

राजस्थान सरकार

आयुर्वेद, योग व प्राकृतिक चिकित्सा, यूनानी, सिद्धा, एवं होम्योपैथी (आयुष) विभाग

क्रमांक :– प.25(2)आयु./2022 जयपुर, दिनांक 01.04.22

आदेश

माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा बजट घोषणा वर्ष 2022–23 के बिन्दु संख्या 8 अन्तर्गत राज्य के सभी श्रेणी के राजकीय चिकित्सा संस्थानों में उपलब्ध ओपीडी एवं आईपीडी सुविधायें समस्त प्रदेशवासियो को पूर्णत निःशुल्क करने की घोषणा की है। उपर्युक्त घोषणा की अनुपालना में आयुष विभागान्तर्गत संचालित चिकित्सा केन्द्रो में भी ओपीडी एवं आईपीडी सुविधायें निःशुल्क किये जाने हेतु निर्देश जारी किये जाते है:–

1. विभागान्तर्गत संचालित औषधालयों/चिकित्सालयों में 1 अप्रैल, 2022 से ओपीडी एवं आईपीडी की सुविधा निःशुल्क प्रारंभ की जायेगी। किसी भी प्रकार का पंजीयन शुल्क नही लिया जायेगा।
2. राजकीय चिकित्सा संस्थानों मे ओपीडी में आने वाले तथा आईपीडी में भर्ती मरीजों को समस्त दवाईयां एवं जांचे निःशुल्क प्रदान की जावेगी।
3. उपर्युक्त सुविधा राज्य के समस्त प्रदेशवासियों के लिये निःशुल्क उपलब्ध होंगी। परन्तु राज्य के बाहर से आने वाले मरीजों से नियमानुसार शुल्क लिया जावेगा।
4. मरीज के प्रदेशवासी होने के प्रमाण के रूप में मरीज का जन आधार कार्ड अथवा अन्य दस्तावेज लिये जायेंगें।

उक्त आदेश दिनांक 01.04.22 से प्रभावी होंगें। प्रारभ में एक माह की अवधि में व्यवस्था का Dry-run होगा जिसमें कियान्वयन में आने वाली समस्याओं को चिन्हित कर समाधान किया जायेगा। योजना का औपचारिक प्रारंभ 01 मई, 2022 से किया जाना प्रस्तावित हैं।

01.04.22

(आर.एन.शर्मा)
उपशासन सचिव

क्रमांकः प.3/सामा.5/औषध आपूर्ति/2022/7054 दिनांकः 01.04.22

प्रतिलिपिः– निम्नांकित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1. उपशासन सचिव, आयुर्वेद एवं भारतीय चिकित्सा विभाग, जयपुर।
2. समस्त अतिरिक्त निदेशक, (संभाग) आयुर्वेद विभाग,
3. समस्त उपनिदेशक, आयुर्वेद विभाग,
4. प्राचार्य,आयुर्वेद नर्स/कम्पा. प्रशिक्षण केन्द्र अजमेर ।
5. प्रोग्रामर, आयुर्वेद निदेशालय अजमेर, विभागीय वेबसाईट अपलोड हेतु ।
6. सामान्य पत्रावली।

(महेन्द्र माथुर)
उपनिदेशक